भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2786

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म का विस्तार

2786. श्री संजय दिना पाटीलः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में पारंपरिक किराना दुकानों पर, विशेषकर भारी छूट, मूल्य निर्धारण पद्धतियों और अनुचित प्रतिस्पर्धा के संबंध में ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफार्मों के तेजी से विस्तार के प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य में छोटे खुदरा विक्रेताओं, रोजगार और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उनके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ई-कॉमर्स नियमों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति या प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत विनियामक उपाय करने का विचार है ताकि अचानक से मूल्य निर्धारण और बाजार संकेन्द्रण को रोका जा सके और समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में किराना दुकानों का आधुनिकीकरण करने, डिजिटल रूप से एकीकृत करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करने के लिए कौन-कौन से सहायता तंत्र कार्यान्वित किए जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं; और

(ङ) राज्य में इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की समय-सीमा और निगरानी तंत्र क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख):उत्पादों का मूल्य निर्धारण और उन पर छूट देना व्यावसायिक निर्णय हैं, जो बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि, किसी प्रभावशाली उद्यम

अथवा समूह द्वारा अनुचित या भेदभावपूर्ण मूल्य तय करना (अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। उक्त अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा-रोधी पद्धतियों से संबंधित मामलों का निर्णय करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पीड़ित पक्ष द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण का विषय शामिल होता है। जब भी सरकार के संज्ञान में मौजूदा कानूनों की विसंगतियां और उल्लंघन की जानकारी लाई जाती है, तो उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग): सरकार, छोटे खुदरा व्यापारियों और पारंपरिक किराना स्टोरों के हितों की रक्षा, स्थानीय व्यवसाय के हितों की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों और प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी पद्धतियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों, नियमों और नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू कुछ अधिनियमों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; आयकर अधिनियम, 1961; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 आदि शामिल हैं। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबधित प्रावधान शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बाजार में अन्य भागीदारों द्वारा व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अधिदेश देता है। यह अधिनियम, प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों (धारा 3), वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग (धारा 4) पर रोक लगाता है और संयोजनों, यानी विलय और अधिग्रहणों (धारा 5 और 6) के विनियमन का प्रावधान करता है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई है और यह अधिनियम ऐसे प्रतिस्पर्धा-रोधी आरचण के मामले में सीसीआई को उपयुक्त उपाय करने का अधिकार प्रदान करता है।

इसके साथ ही, ई-कॉमर्स और खुदरा क्षेत्र संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति, स्थानीय व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने के सरकार के इरादे को

दर्शाती है। ई-कॉमर्स संबंधी एफडीआई नीति का पैरा 5.2.15.2 [उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी दिनांक 26.12.2018 के प्रेस नोट 2 (2018 श्रृंखला) द्वारा यथासंशोधित], ई-कॉमर्स के मालसूची-आधारित मॉडल में एफडीआई पर रोक लगाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की मालसूची पर ई-कॉमर्स कंपनी का स्वामित्व हो तथा सीधा उपभोक्ताओं को बेची जा रही हो। स्थानीय व्यावसायिक हितों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति का यह अधिदेश है कि 51 प्रतिशत से अधिक के विदेशी निवेश के लिए, खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य के 30 प्रतिशत की खरीद भारत से की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), ग्राम और कुटीर उद्योगों, कारीगरों व शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति किसी क्षेत्र में एफडीआई के लाभों के परिणामस्वरूप उसी अनुपात में उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात् चरणों में निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनेक शर्तों का उल्लेख करती है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहणों पर रोक लगाने के लिए, प्रेस नोट 3 (2020 श्रृंखला) के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किए गए। इन संशोधनों के अनुसार, किसी ऐसे देश की कंपनी, जो भारत के साथ भू-सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का वास्तविक स्वामी ऐसे किसी देश में स्थित है या उस देश का नागरिक है, तो वह केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से ही निवेश कर सकती है।

(घ) और (ङ): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की अग्रगामी पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य, डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जुड़े सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी प्रोटोकॉल कैटेलागिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन तथा ऑर्डर पूरा करने जैसे प्रचालनों को मानकीकृत करता है। इस प्रकार, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय, विशिष्ट प्लेटफॉर्म केंद्रित नीतियों द्वारा प्रशासित होने की बजाय किसी भी ओएनडीसी अनुकूल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उन्हें नेटवर्क पर खोजे जाने और व्यवसाय करने के अनेक विकल्प उपलब्ध कराता है। यह ऐसे व्यापारियों को डिजिटल माध्यमों को आसानी से अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर नहीं हैं। ओपन नेटवर्क मॉडल छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए स्केलेबल, लागत-प्रभावी और समावेशी डिजिटल बाजार पहुंच को सक्षम बनाता है।

नेटवर्क प्रतिभागियों, उद्योग संघों और राज्य स्तरीय पहलों के माध्यम से प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और ऑनबोर्डिंग सहायता प्रदान की जा रही है ताकि किराना स्टोरों में डिजिटल क्षमता का निर्माण किया जा सके। ओएनडीसी मांग के अनुसार

डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे आस-पड़ोस के क्षेत्रों में हाइपरलोकल डिलीवरी क्षमताओं में सुधार होता है। यह नेटवर्क प्रौद्योगिकी-संचालित, बाजार-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो किराना स्टोरों, एमएसएमई, स्वयं सहायता समूहों, किसानों और कारीगरों को किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के बिना निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करते हुए डिजिटल वाणिज्य में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।

ओएनडीसी ने महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र से ओएनडीसी में 28196 विक्रेता पंजीकृत हैं और अब तक 6,934,848 लेनदेन कार्य हो चुके हैं।

सरकार महाराष्ट्र सहित किराना स्टोरों की डिजिटल क्षमताओं और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए लक्षित पहलों के माध्यम से ओएनडीसी इकोसिस्टम को मजबूत करना जारी रखे हुए है। उपरोक्त उपायों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। नेटवर्क और इसकी पहलों की प्रगति और कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा के लिए, ओएनडीसी ने निदेशक मंडल और विभिन्न समितियों सहित समर्पित शासन और निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं।

*****